रजिस्ट्री सं. डी.एल.-33004/93 REGD. NO. D.L.-33004/93

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 288] नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 23, 1993/भाद्र 1, 1915
No. 288] NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 23, 1993/BHADRA 1, 1915

जल-भूतल परिवहन मन्त्रालय

(पत्तन पक्ष)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 अगस्त, 1993

सा का नि 569(अ)—केन्द्र सरकार, महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 132 की उपधारा (i) के साथ पठित धारा 124 की उपधारा (i) द्वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए, मुरगाव पत्तन न्यासी मडल द्वारा बनाए गए और इस अधिसूचना के साथ सलग्न अनुसूची मे मुरगाव पत्तन कर्मचारी (वाहन क्रय के लिये अग्रिम भत्ता) सशोधन नियम, 1993 का अनुमोदन करती है।

2 उक्त विनियम इस अधिसूचना के सरकारी राजपत्र मे प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगे।

[फा स पी आर—12012/9/93पी०ई०-I]

अशोक जोशी, सयुक्त सचिव

अनुसूची

मुरगाव पत्तन कर्मचारी (वाहनो की खरीद के लिए अग्रिम की मजूरी) सशोधन विनियम, 1993

प्रमुख पत्तन अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 124(1) और (2) के साथ पठित धारा-28 द्वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए मुरगाव पत्तन का न्यासी मडल मुरगाव पत्तन कर्मचारी वाहनो की खरीद के लिए अग्रिम की मजूरी) विनियम, 1969 मे और सशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है यथा

(1) सक्षिप्त नाम. इन विनियमो को मुरगाव पत्तन कर्मचारी (वाहनो की खरीद के लिए अग्रिम की मंजूरी) विनियम, 1993 कहा जाएगा।

(2) ये विनियम भारत सरकार का अनुमोदन भारत के राजपत्र मे प्रकाशित तारीख से प्रवृत्त होगे ।

1 विनियम-17 मे सशोधन विनियम-17 को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित की जाए

विनियम-17 : पात्रता की शर्तें : 17(i) कर्मचारी को मोटर कार, मोटर सायकल, स्कूटर या बायसीकल खरीदने के लिए अग्रिम मंजूर की जाएगी।

(क) मोटर कार : अधिकारी जो रु 3500/- प्रति महीना या अधिक (नान प्रैक्टीसिंग भत्ता) मूल वेतन पाते हैं वे मोटर कार खरीदने हेतु अग्रिम की मंजूरी के लिए पात्र होंगे। तथापि, योग्य मामलों में मंजूरी प्राधिकारी इसमें ढीलाई दे सकता है।

(ख) मोटर सायकल या स्कूटर : कर्मचारी जो रु. 1,500/- प्रति महीना या इससें अधिक मूल वेतन पाते है, जिसमें नान प्रैक्टीसिंग भत्ता शामिल है, वे मोटर सायकल या स्कूटर खरीदने हेतु अग्रिम की मंजूरी के लिए पात्र होंगे। तथापि, योग्य मामलों में मंजूरी प्राधिकारी इसमें ढिलाई दे सकता है।

(1) मंजूरी करने वाले सक्षम प्राधिकारी संतुष्ट होते है कि कर्मचारी अग्रिम को वापिस कर सकता है।

टिप्पण : वाहन खरीदने के लिए अग्रिम की मंजूरी उस कर्मचारी को नहीं दी जाएगी जिसने पहले ही वाहन खरीदकर अदायगी की हो बशर्ते कि अग्रिम के लिए आवेदन देने की तारीख से तीन महीनों के भीतर वाहन खरीदा हो और अस्थायी ऋण लेकर इसके लिए अदायगी किया हो।

(ग) बायसीकल : कर्मचारी जिनका मूल वेतन और स्टैगनेशन वेतनवृद्धि रु. 1750/- प्रति महीना से अधिक न हो वे सायकल खरीदने हेतु अग्रिम की मंजूरी के लिए पात्र होंगे। किसी कर्मचारी को अग्रिम की मंजूरी तब की जाएगी जब सक्षम मंजूरी करनेवाला प्राधिकारी संतुष्ट होता है कि कर्मचारी के पास सायकल होने से उसकी कार्य कुशलता में सहायता मिलेगी।

2. विनियम 21 मे संशोधन : मौजूदा विनियम-21 को निम्नलिखित सें प्रस्थापित किया जाए :

विनियम 21 : अग्रिम की रकम : मोटर कार खरीदने के लिए दी जाने वाली अग्रिम की कुल रकम निम्नलिखित से अधिक नही होगी :

(1) मोटर खरीदने के लिए कर्मचारी को पहली बार मंजूर अग्रिम रु. 80,000/- अथवा नान प्रैक्टीसिंग भत्ता सहित सोलह महीने का मूल वेतन अथवा खरीदे जानेवाले वाहन का मूल्य जो भी कम होगा।

(2) दूसरी बार/इसके बाद रु. 75,000/- अथवा नान प्रैक्टीसिंग भत्ता सहित सोलह महीने का मूल वेतन अथवा खरीदे जानेवाले कार का मूल्य जो भी कम होगा तक सीमित होगी।

(क) दूसरी बार/इसके बाद अलग वाहन खरीदने के लिए पहले वाले वाहन को बेचे बिना अग्रिम दी जाएगी, किंतु पिछले अग्रिम का शेष और ब्याज पूर्ण रूप में अदा किया जाता है।

(ख) मोटर कार खरीदने के लिए दूसरी या इसके बाद की अग्रिम पिछले अग्रिम लेने को तारीख से चार वर्ष बाद ही दी जाएगी। यह शर्त लागू नहीं होगी :

(1) यदि पहला अग्रिम मोटर सायकल के लिए हो और दूसरा अग्रिम मोटर कार के लिए हो।

(2) जब कर्मचारी एक वर्ष से भी अधिक विदेश में प्रतिनियुक्ति/प्रशिक्षण से पहले भारत में अपना मोटर बेचता हो और बिना कार भारत लौटता हो।

(3) जब कर्मचारी की नियुक्ति विदेश में निमित पद पर होती हो और वह अपने साथ कार नहीं ले जाता हो।

टिप्पणी 1 :— सीमा शुल्क की अदायगी के लिए अग्रिमः कर्मचारी जो कि वर्ष से भी अधिक अवधि के लिए विदेश में नियमित पद धारित किया है और जो अन्यथा मोटर कार अग्रिम की मंजूरी के लिए पात्र है उसें दो किश्तो में अग्रिम मंजूर की जाएगी। पहली किस्त कार खरीदते समय और दूसरी किस्त भारत में कार ले आते समय सीमा शुल्क की अदायगी करते समय दी जाएगी। अग्रिम की मात्रा उपर्युक्त पैरा-2 के अनुसार होगी।

टिप्पणी 2 :— जो कर्मचारी पहले मोटर कार अग्रिम नहीं लिया हो और वह अपने साथ कार ले आता हो तो उसे कार पर लगाई गई सीमा शुल्क की अदायगी के लिए अग्रिम एकमुश्त में मंजूर की जा सकती है। अग्रिम की मात्रा रु. 80,000/- अथवा नान प्रैक्टीसिंग भत्ता सहित सोलह महीने का मूल वेतन अथवा वास्तविक सीमा शुल्क जो भी कम हो।

टिप्पणी 3 :— मोटर कार अथवा मोटर सायकल अथवा मोटर स्कूटर खरीदने हेतु अग्रिम के लिए आवेदन इन विनियमों के साथ संलग्न फार्म "सी" में मंजूरी प्राधिकारी को प्रस्तुत करना होगा।

टिप्पणी 4 :— जब विनियम 21(1) में बताई गई अधिकतम सीमा की राशि ली गई हो तो संबंधित कर्मचारी को इसके बाबत प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना

होगा कि इसी प्रकार के वाहन की खरीद के लिए इसमे पहले उसने अग्रिम नही ली है। मंजूरी प्राधिकारी को भी प्रमाणपत्र की यथा तथ्यता की जांच करनी होगी।

3 अग्रिम की वसूली मूल विनियम, 1969 के विनियम 23 को निम्नलिखित से प्रस्थापित किया जाए।

(क) मोटर कार : अधिक-से-अधिक 30 समान मासिक किस्तो मे।

4. मूल विनियम के विनियम 32 मे विनियम 32 को छोड़ दिया जाए और निम्नलिखित मे प्रस्थापित किया जाए :

मोटर सायकल/स्कूटर/मोपेड अग्रिम :

रकम . पहली बार रु. 13,000/- अथवा नान-प्रैक्टीसिंग सहित आठ महीनो का मूल वेतन अथवा प्रत्याशित मूल्य जो भी कम हो तक सीमित।

दूसरी/इसके बाद रु. 10,000/- अथवा नान-प्रैक्टीसिंग सहित 6 महीनों का मूल वेतन अथवा मोटर सायकल/स्कूटर का मूल्य जो खरीदा जा रहा है जो भी कम हो।

मण्डल से ली गई अग्रिम से खरीदे गए पिछले वाहन को बेचे बिना ही दूसरे प्रकार का वाहन खरीदने के लिए दूसरा इसके बाद का अग्रिम दिया जाएगा, बशर्ते कि ब्याज सहित पिछले अग्रिम की शेष रकम को पूर्ण रूप मे अदा किया जाता है।

एक ही प्रकार के वाहन को खरीदने के लिए दूसरा/इसके बाद का अग्रिम ग्राह्य नही होगा जब तक कि पिछले अग्रिम से खरीदी गई गाड़ी नही बेची जाती है।

5. विनियम-33 मे संशोधन : मूल विनियम, 1969 के विनियम-33 को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाए :

सायकल अग्रिम : रकम रु. 600/- अथवा बिक्री कर सहित प्रत्याशित मूल्य जो भी कम हो।

शर्तें : अग्रिम लेने के एक महीने के भीतर नकद रसीद और सायकल का ब्यौरा प्रस्तुत करना होगा।

पहले अग्रिम से तीन वर्ष के भीतर आमतौर पर इसके बाद का अग्रिम नही दिया जाएगा।

निलंबित कर्मचारी को और यदि पहले ही सायकल खरीदकर अदायगी की गई हो तो अग्रिम मजूर नही की जाएगी जब तक कि अस्थायी ऋण लेकर अग्रिम के लिए आवेदन करने की तारीख से तीन महीने के भीतर खरीदी गई और रकम अदा की गई हो।

पाद टिप्पणी . मंत्रालय के पत्र संख्या 7-पी. ई. (14)/67, दिनांक 21-4-1969 के द्वारा मूल विनियमो को अनुमोदित किया गया था और बाद मे सामान्य कानूनी नियम संख्या 278(ई), दिनांक 10/3/1987 द्वारा संशोधित किया गया।

MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT

(Ports Wing)

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd August, 1993

G.S.R. 569(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (i) of Section 124, read with sub-section (i) of Section 132 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Central Government hereby approves the Mormugao Port Employee (Grant of Advance for Purchase of Conveyance) Amendment Regulations, 1993 made by the Board of Trustees for the Port of Mormugao and set out in the Schedule annexed to this notification.

2. The said regulations shall come into force on the date of publication of this notification in the Official Gazette.

[No. PR-12012/9/93-PE.I.]

ASHOK JOSHI, Jt. Secy.

SCHEDULE

Mormugao Port Employees (Grant of Advances for Purchase of Conveyance) Amendment Regulations, 1993

In exercise of the powers conferred by the Section 28 read with Sec. 124(1) & (2) of Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963) the Board of Trustees for the Port of Mormugao hereby makes the following regulations further to amend the Mormugao Port Employees (Grant of Advance for Purchase of Conveyance) Regulations, 1969 viz :

(i) Short Title : These regulations may be called the Marmugao Port Employees (Grant of Advance for Purchase of Conveyance) (First Amendment) Regs., 1993.

(ii) They shall come into force on the date on which approval of the Central Govt. is published in the Gazette of India.

1. Amendment to Reg. 17 : Replace Reg. 17 as under :

Reg. 17 : Conditions of eligibility:

17(1): An employee may be graned an advance for the purchase of Motor Car, Motor cycle, Scooter or bicycle.

(a) Motor Car : The officers drawing basic pay of Rs. 3,500 per month or more (including Non Practising Allowance) are eligible for grant of advance for purchase of Motor Car. However, this may be relaxed by sanctioning authority in deserving cases.

(b) Motor Cycle or Scooter : The employees drawing basic pay including Non pracising allowance of Rs. 1,500 per month or more are eligible for grant of advance for purchase of motor cycle or scooter. However, this may be relaxed by sanctioning authority, in deserving cases.

(i) If the authority competent to sanction the advance is satisfied that the employee has the capacity to repay the advance.

Note : An advance for the purchase of conveyance shall not be granted to an employee who has already purchased the conveyance and paid for it, unless the conveyance has been purchased within a period of three months commencing from the date, the advance was applied for, and has been paid for by raising a temporary loan.

(c) Bicycle : The employees whose basic pay plus stagnation increment does not exceed Rs. 1,750 per month, are eligible for grant of advance for purchase of cycle. An employee may be granted an advance for the purchase of bicycle if the authority competent to sanction advance is satisfied that the possession of a bicycle will add to the efficiency of the employee.

2. Amendment to Reg. 21 : Replace the existing Regulation 21 by the following :

Reg. 21 : Amount of Advance : The total amount of advance which may be granted to an employee for the purchase of a motor car shall not exceed:

(i) When the employee is granted an advance for the first time for the purchase of motor car Rs. 80,000 or sixteen months basic pay plus non practising allowance or the price of the motor car to be purchased, whichever is the least.

(ii) On second|subsequent occasion, restricted to Rs. 75,000 or sixteen months basic pay plus non practising allowance or the price of the car to be purchased, whichever is the least..

(a) Second|subsequent advance for purchase of a different vehicle, is admissible without selling the previous vehicle, but the balance of the previous advance with interest should be repaid in full.

(b) Second or every subsequent advance for the purchase of motor car will be admissible only after four years from the date of drawal of the earlier advance, this condition will not apply:

(i) If the preceding advance was for motor cycle and the second advance is for a motor car.

(ii) When an employee disposes of his motor car in India prior to deputation|training abroad lasting for more than a year and returns to India without a car.

(iii) When an employee is appointed to a regular post abroad and does not take his car alongwith him.

Note 1 : Advance for paying Customs duty : An employee who is holding a regular post abroad for a period exceeding one year and who is otherwise eligible for the grant of motor car advance may be granted an advance in two instalments—first at the time of purchase of the car and second at the time of payment of customs duty when the car is brought to India on completion of his tenure. The quantum of advance will be as per para 2 above.

Note 2 : If an employee who has not availed motor car advance earlier brings a car alongwith him, he may be granted advance in one lumpsum for payment of customs duty levied on the car. The quantum will be Rs. 80,000 or sixteen months basic pay plus Non Practising Allowance or the actual custom duty whichever is the least.

Note 3 : Application for advance for the purchase of a motor car or motor cycle or motor scooter should be submitted to the sanctioning authority in Form 'C' appended to these Regulations.

Note 4 : When the higher limit mentioned in Regulation 21(i) is availed of, the employee concerned should furnish a certificate to the effect that he has not drawn any advance earlier for the purchase of a conveyance of the same type. The sanctioning authoriy should also verify the corrections of the certificate.

3. Recovery of advance : Delete the existing Reg. 23 of principal Regulation 1969 and replace by the following :

(a) Motor Car : In not more than 200 equal monthly instalments. The employee may at his option repay more than one instalment in a month.

(b) Motor Cycle or Scooter : In not more than 70 equal monthly instalments.

(c) Cycle Advance : In not more than 30 equal monthly instalments.

4. In Reg. 32 of the principal regulation delete the existing Regulation 23 and substitute with the following :

Motor cycle|Scooter|Moped Advance :

Amount : On the first occasion restricted to Rs. 13,000 or 8 months basic pay (plus Non Practising Allowance) or anticipated price, whichever is the least.

On second|subsequent occasion restricted to Rs. 10,000 or 6 months basic pay (plus Non Practising Allowance) or the price of motor cycle|scooter to be purchased, whichever is the least.

Second|subsequent advance for the purchase of the different vehicle, is admissible without selling the vehicle, previously purchased with advance from Board but the balance of the previous advance with interest should be repaid in full.

Second|subsequent advance for the purchase of the same category of vehicle is not admissible unless vehicle purchased earlier with advance is sold.

5. Amendment to Reg. 33 : Replace the existing Reg. 33 of the principal Regulation 1969 by the following :

Cycle Advance : Amount : Rs. 600 or the anticipated price including sales tax, whichever is less.

Conditions : Should furnish Cash Receipt and particulars of the cycle within one month of drawing the advance.

Subsequent advance will not ordinarily be admissible within 3 years of the first advance.

Cannot be granted to an official under suspension and cannot be granted if the cycle has already been purchased and paid for, unless it was purchased and paid for by raising temporary loan within 3 months from the date the advance was applied for.

Foot Note : The principal regulations were approved vide Ministry's letter No. 7-PE(14)|67 dated 21-4-1969 and were subsequently amended by GSR No. 278(E) dated 10-3-1987.

1872 GI|93—2

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Maya Puri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1993